फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

रामनिवास आदि बनाम स्टेट

किस्म मुकदमा : **136 LRA** प्रकरण संख्या 188 / **2026**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
01.06.2026	प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के नाम रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 304/305 में रामनिवास पुत्र श्री कृष्ण, लिछमा पत्नी श्री कृष्ण व सुखबीर पुत्र श्री कृष्ण दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुए है प्रार्थीगण के सही व वास्तविक नाम रामनिवास पुत्र कृष्ण, लिछमा पत्नी कृष्ण व सुखवीर पुत्र कृष्ण कुमार है जो कि प्रार्थीगण के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम रामनिवास पुत्र श्री कृष्ण, लिछमा पत्नी श्री कृष्ण व सुखबीर पुत्र श्री कृष्ण के स्थान पर रामनिवास पुत्र कृष्ण, लिछमा पत्नी कृष्ण व सुखवीर पुत्र कृष्ण कुमार दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें। तहसीलदार नोहर, भू0अभि0 निरीक्षक एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम रामनिवास पुत्र श्री कृष्ण, लिछमा पत्नी श्री कृष्ण व सुखबीर पुत्र श्री कृष्ण के स्थान पर रामनिवास पुत्र कृष्ण, लिछमा पत्नी कृष्ण व सुखवीर पुत्र कृष्ण कुमार किया जाना उचित है की अनुशंषा की है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम रामनिवास पुत्र श्री कृष्ण, लिछमा पत्नी श्री कृष्ण व सुखबीर पुत्र श्री कृष्ण दर्ज है एंव प्रार्थी के समस्त दस्तोवजों आधार कार्ड में प्रार्थीगण का नाम रामनिवास पुत्र कृष्ण, लिछमा पत्नी कृष्ण व सुखवीर पुत्र कृष्ण कुमार दर्ज है एवं तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थीगण का नाम सही करने हेतु अनुशंषा की गई है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार, भू0अभि0, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 304/305 में रामनिवास पुत्र श्री कृष्ण, लिछमा पत्नी श्री कृष्ण व सुखबीर पुत्र श्री कृष्ण के स्थान पर रामनिवास पुत्र कृष्ण, लिछमा पत्नी कृष्ण व सुखवीर पुत्र कृष्ण कुमार का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हों। Rahul उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	